

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता  
अलीगढ़ वृत्त, लो०नि०वि०, अलीगढ़

(e-mail id; aligarhcirclepwd@gmail.com, Phone No. : 0571-2702365)

पत्रांक 1354 / ~~कै~~ (जो लो०वि०)-30 वृ०/15

दिनांक 22-3-16

सेवा में,  
निदेशक,  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:- निविदा सूचना का समाचार पत्रों में प्रकाशन।

महोदय,  
कृपया संलग्न निविदा सूचना को दि० 16.04.2016 से पूर्व क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों में एक वार प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- 1. टैण्डर नोटिस की 6 प्रतियाँ  
2. एक सी०डी०

(वी०डी० शर्मा)  
अधीक्षण अभियन्ता,  
अलीगढ़ वृत्त, लो०नि०वि०,  
अलीगढ़

पत्रांक 1354 / ~~कै~~ दिनांक  
प्रतिलिपि निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों को निविदा सूचना की एक-एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सहायक निदेशक (सूचना) कक्ष सं० 310 निर्माण भवन लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता आगरा क्षेत्र लो०नि०वि० आगरा।
3. जिलाधिकारी, हाथरस।
4. अधिशारी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हाथरस को इस आशय से कि एन०आई०सी० की वेबसाइट पर निविदा लोड कराये।
5. जिला विज्ञान सूचना केन्द्र कलैक्ट्रेट हाथरस को इस आशय से प्रेषित कि वह अपनी साइट [www.hathras.nic.in](http://www.hathras.nic.in) पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. खण्डीय लेखाधिकारी/खण्डीय कैशियर/नोटिस बोर्ड


अधीक्षण अभियन्ता,  
अलीगढ़ वृत्त, लो०नि०वि०,  
अलीगढ़  
22/3/16







7. निविदायें कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, जिलाधिकारी अथवा मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में जैसा कि कार्य के अनुकूलम 8, 9, 10, एवं 11 में निर्दिष्ट दिनांक 23.04.2016 को, दोपहर 12.00 बजे तक निविदा पेटिका में डाली जायेगी। जिनकी वेबसाइट विडस अगले कार्यकारी दिवस दिनांक 25.04.2016 को दोपहर 12.30 बजे कालम-10 में उल्लिखित जिलाधिकारी के कार्यालय परिसर स्थित संग्राम में विडर्स जो उपस्थित होना चाहते हो के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्राप्त अथवा खोलने की तिथि पर कार्यालय बन्द रहता है तो निविदायें अगले कार्यकारी दिवस में निर्धारित समय पर प्राप्त और खोली जायेंगी तथा विडर्स की वेबसाइट तिथि पर खोली जायेगी। वित्तीय निविदा के खोलने की तिथि अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय द्वारा सूचित किया जायेगा तथा टैकनिकल विड में योग्य ग्रेड विडर्स को भी नोटिस की प्रति भेजी जायेगी।
8. प्री बिड बैठक (Pre-Bid Meeting) दिनांक 19.04.2016 को अपराह्न 12.00 बजे कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, अलीगढ़ वृत्त, लोनिवि0, अलीगढ़ में आयोजित की जायेगी।
9. समस्त टेकेदारों को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि कार्यवार अलग-अलग संलग्न करनी होगी। प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर धनराशि जैसा कि कॉलम नं० - 5 में दर्शाया गया है राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा किसी शिड्यूल बैंक/पोस्ट ऑफिस की सर्वाधि जमा राशि "अधीक्षण अभियन्ता, अलीगढ़ वृत्त, लोनिवि0, अलीगढ़" के नाम बन्धक हो, धरोहर धनराशि की वैधता निविदा की वैधता के 45 दिन तक की मान्य होगी।
10. यदि निविदा दाता या उसके वैवाहिक (पति/पत्नी) के निकट सम्बन्धी (प्रथम खून के रिश्ते या उनके वैवाहिक साथी के रूप में परिभाषित एण्ड में खण्डीय लेखाधिकारी या अवर अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता, की हैसियत (दोनों को शामिल करते हुये) के अधिकृत कार्यरत हैं तो उसे निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
11. राजपत्रित रैंक के अभियन्ता अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अभियंत्रण विभाग में अभियंत्रण अथवा प्रशासनिक सेवा में कार्य किया किसी दूसरे राजपत्रित अधिकारी को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्ति के उपरान्त दो साल की अवधि तक सरकार की अनुमति के बिना टेक के रूप में कार्य नहीं करने दिया जायेगा यदि टेकेदार अथवा उसका कोई कर्मचारी उपरोक्तानुसार व्यक्ति पाया जाता है जिसने निविदा डालने से पहले अथवा टेकेदार की सेवा में आने से पहले सरकार से अनुमति नहीं ली होगी तो उसका टेका निरस्त किये जाने के समान्य है।
12. निविदा प्रपत्र एवं निविदा दाताओं की अर्हता सूचना तथा पात्रता करौटी, सम्बन्धी दूसरे विवरण नक्शा विशिष्टियों ड्राइंग(स्खाचित्र) कार्य मापत्राओं की सूची (शिड्यूल ऑफ क्वान्टिटी) तथा टर्म्स एण्ड कन्डीशन का विवरण जो टेकेदार द्वारा स्वीकार की जानी है टेबल के कालम 8 में उल्लेखित अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में दि० 16.04.2016 से 22.04.2016 तक कार्यकारी दिवसों में सुबह 11.00 बजे से सायं 4 बजे तक देखी जा सकती है।
13. विडर्स का क्रिगिनल रिकार्ड होने पर उसको विडिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
14. कोई भी विडर्स जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत हो को निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
15. दस लाख से ऊपर के कार्यों के लिए प्रत्येक निविदादाता को प्रत्येक कार्य के लिए (संलग्न-1) के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा पर सूचनाएँ एफ़ीडेवित के रूप में देनी होगी, जिससे कि निविदादाता की बिड कैपेसिटी (कार्य करने की क्षमता) आंकलित की जा सकें। प्रत्येक निविदादाता को निविदा डालने से पूर्व ही बिड कैपेसिटी के लिये स्वयं को संतुष्ट करना होगा। बिड क्षमता रोकेशन 3 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप आंकलित की जायेगी, जो निविदादाता आवश्यक बिड कैपेसिटी को पूर्ण नहीं करते उनकी निविदा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जायेगी।
16. महत्वपूर्ण-रूपया दस लाख से अधिक लागत की निविदायें दो भागों में क्रमिक ढंग से पूर्ण (सिरीयली हार्ड वाउन्ड) मान्य होगी। निविदा भाग-1 में तकनीकी निविदा तथा निविदा भाग-2 में वित्तीय निविदा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफों में बन्द दोनों लिफाफों को तीसरे लिफाफे में सीलबन्द करते हुये निविदा डाली जायेगी।
17. निविदादाता को प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ सभी सूचनायें प्रपत्र निर्धारित प्रोफार्मा (टी-4, टी-5, टी-6) जमा करना अनिवार्य होगा।
18. टी-2 (T-2) की समस्त शर्तें निविदादाता पर लागू हैं।
19. सक्षम प्राधिकारी को बिना किसी कारण बतायें निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
20. सभी कार्यों की डिफ़ैक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य समाप्ति की तिथि से 02 वर्ष बाद तक होगी।
21. समस्त टेकेदारों को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि कार्यवार अलग-अलग संलग्न करनी होगी।
22. निविदा केवल वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र धारकों को वेची जायेगी।
23. जिन टेकेदारों द्वारा कम प्रतिशत दर पर निविदा दर पर निविदा दी जायेगी उनसे शासनादेश सं० - 622/23.12.2012-2 ऑडिट/टी0री0-2 लखनऊ दिनांक 08.06.12 के अनुपालन में निम्नानुसार अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी ली जायेगी।  
(अ) जिन टेकेदारों द्वारा 10 प्रतिशत तक कम दर (Below) पर निविदा दी जायेगी उनसे 0.50 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम दर अतिरिक्त सिक्योरिटी ली जायेगी।  
(ब) जिन टेकेदारों द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक कम दर (Below) पर निविदा दी जायेगी उनसे 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर अतिरिक्त सिक्योरिटी ली जायेगी।
24. टेकेदार को निविदा स्वीकृत के उपरान्त उ०प्र० भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 19 तथा उत्तर प्रदेश नियमावली 2009 के अन्तर्गत उप श्रम आयुक्त, अलीगढ़ के कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

  
 (वी०डी० शर्मा)  
 अधीक्षण अभियन्ता  
 अलीगढ़ वृत्त, लोनिवि०, अलीगढ़